



सत्यमेव जयते

आयकर आयुक्त का कार्यालय, मैसूर

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX, MYSORE

(Address 55/1, SHILPASHREE, VIDYARANYA COMPLEX, VISHWESHWARA NAGAR, MYSORE-570006)

(Phones: 0821-2480260 & 2485276 (Office), 0821-2480261(Fax))

फा. सं एम-72/80जी/आ.आ./मैसूर/2010-11

F.No.M-72/80G/CIT/Mys/2010-11

दिनांक/Date: 04.05.2010

आदेश/ORDER

विषय: एम ओ बि रुशल हेल्थ सेंटर, रूम सं 5, सर्कार जेनरल हास्पेटल, मंड्य के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन संबंधी-

Sub: Application for Renewal of Recognition u/s 80G of the IT Act, 1961 in the case of **M O B Rural Health Centre, Room No. 5, Govt. General Hospital, Mandya -Reg-**

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5)(vi) के अधीन मान्यता के नवीकरण हेतु उपर्युक्त ट्रस्ट का आवेदन दिनांक **07.12.2009** को प्राप्त हुआ था। मामले की जाँच के बाद एम ओ बि रुशल हेल्थ सेंटर, रूम सं 5, सर्कार जेनरल हास्पेटल, मंड्य को मान्यता का नवीकरण प्रदान किया जाता है तथा उपर्युक्त ट्रस्ट को दिये जानेवाले दान को निर्धारित सीमा के भीतर दानकर्ता के हाथों आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5)(vi) के अधीन छूट प्राप्त है।

The application of the above mentioned trust for Renewal of Recognition u/s 80G (5) (vi) of IT Act, 1961 was received on **07.12.2009** After examination of the case, the Renewal of Recognition is granted to **M O B Rural Health Centre, Room No. 5, Govt. General Hospital, Mandya** and donations made to the above mentioned trust are exempt u/s 80G (5) (vi) of the Income tax Act, 1961 in the hands of the donor (s) subject to the limit prescribed therein.

2. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5)(vi) के अधीन प्रदान किया गया मान्यता का नवीकरण दिनांक **01.04.2009**.

The Renewal of Recognition granted under section u/s 80G (5) (vi) of the IT Act, 1961 is valid from **01.04.2009** onwards.



(पी.के.प्रसाद/P.K.Prasad)

आयकर आयुक्त, मैसूर
Commissioner of Income-tax, Mysore.

फा.सं एम-72/80जी/आ.आ./मैसूर/2010-11

दिनांक/Date:04.05.2010

विषय: आयकर अधिनियम की धारा 80जी के अधीन मान्यता के लिए आवेदन संबंधी-

Sub: Application for Renewal of Recognition u/s 80G of the IT Act

टिप्पणी/Note:

- 3) दानकर्ता को जारी की गई रसीद पर इस आदेश की दिनांक तथा संख्या तथा वैधता की अवधि भी अंकित होनी चाहिए । (उपर्युक्त अनुच्छेद 2)

Receipts issued to the donors should bear the number and date of this order and also the period of validity (Para 2 above).

- 4) क्षेत्राधिकार वाले निर्धारित अधिकारी को लेखा-विवरण, रसीद एवं भुगतान खाता, आय एवं व्यय लेखा तथा तुलन-बही वर्ष वार प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

Statement of A/C's, Receipts and Payments A/C, Income and Expenditure A/C and Balance Sheet should be submitted annu-ally to the jurisdictional Assessing Officer.

- 5) यदि भविष्य में मान्यता के नवीकरण की माँग की जाती है तो अपने आवेदन के साथ रसीद एवं भुगतान खाते की प्रति, आय एवं व्यय खाता, तुलन-बही आदि की प्रति व नियम तथा नियमन आदि में किया गया कोई बदलाव हो तो उसकी सूचना, तथा पिछले वर्षों के दौरान न्यास/संस्था की गतिविधियों के संबंध में संक्षिप्त विवरण तथा समय-समय पर संशोधित आयकर अधिनियम की धारा 13(1)(सी) के प्रावधानों के नॉन-इंफ्रिजमेंट के संबंध में प्रमाण-पत्र, कार्यालय वाहकों/ट्रस्टी के नाम एवं पते की सूची की प्रतियों के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

If further Renewal of Recognition is sought, and application has to be made to this Office together with Copies of Receipts and Payments A/C, Income and Expenditure A/C, Balance Sheet etc., and a brief description of the activities of the Trust/Institution during the previous years and a Certificate regarding non-infringement of the Provisions of Section 13(1)(c) of the I T Act as amended from time to time, a List of Office Bearers/Trustees with their Names and Addresses.

- 6) यह छूट संबंधी प्रमाण-पत्र दानकर्ता के फायदे के लिए दिया जाता है तथा दिनांक के खत्म होने तक (अनुच्छेद 2) अथवा रद्द होने की दिनांक तक, जो की पहले हो, तक वैध होता है ।

This Certificate of Exemption is given for the benefit of donors and is in force till the date of expiry (Para 2) or till the date it is cancelled whichever is earlier.



फा.सं एम-72/80जी/आ.आ./मैसूर/2010-11

दिनांक/Date:04.05.2010

विषय: आयकर अधिनियम की धारा 80जी के अधीन मान्यता के लिए आवेदन संबंधी-
Sub: Application for Renewal of Recognition u/s 80G of the IT Act

- 7) यह छूट का प्रमाण-पत्र ट्रस्ट/संस्था को निर्धारण में आयकर से छूट के दावे के लिए कोई अधिकार नहीं देता है । पिछले वर्ष के उद्देश्य एवं गतिविधियों के मद्देनजर निर्धारण अधिकारी यह जाँच करते हैं कि क्या निर्धारित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(15) के अधीन बताये गये के अनुसार धर्मार्थ हैं और यह भी कि धारा 11/12/12ए(बी) एवं 13 की शर्तों के अनुसार समय-समय पर संशोधन संतोषजनक हैं । This Certificate of Exemption does not confer any right to the Trust/Institution to claim exemption from I T in the assessments. The A.O. will examine, if the assessee is charitable within the meaning of sec. 2(15) of the I T Act, 1961, keeping in view the objects and activities in the previous year and also if the conditions laid down by sec. 11/12/12a(b) and 13 are amended from time to time are satisfied.
- 8) आवेदक को क्रमांकित रसीद पुस्तकों का रख-रखाव करना चाहिए तथा जब भी माँगी जाए तो उसे आयकर विभाग को सौंपा जाना चाहिए ।
The applicant should maintain serially numbered Receipt Books and produce them to the IT Department whenever called for.

सेवा/To,

एम ओ बि रुरल हेल्थ सेंटर,
रूम सं 5, सर्कार जेनरल हास्पिटल,
मंड्य
M O B Rural Health Centre,
Room No. 5,
Govt. General Hospital,
Mandya

प्रतिलिपि/Copy to:-

1. आयकर अधिकारी, वार्ड-1, मंड्य/ ITO, Ward-1, Mandya
 2. आयकर अपर आयुक्त, रेंज-1, मैसूर /Addl. Commissioner of Income-tax,
Range-1, Mysore
- गार्ड फाइल/Guard File

